<u>साधारण सुचना</u>

भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय-2 जैसलमेर, प्रथम मंजिल, प्रशासनिक कार्यालय, A-23, शास्त्री नगर, जोधपुर हेतु, मासिक किराए के आधार पर वातानुकूलित पेट्रोल/डीज़ल (Non CNG), सफ़ेद रंग की, दो (02) टैक्सी परमिट गाड़ी, यथा - HYUNDAI VERNA/ /TOYOTA ETIOS/ Maruti Suzuki Ciaz (इनमें से कोई भी), जिसका model वर्ष 2023 से पूर्व का न हो, की आवश्यकता हैं। इच्छुक वाहन स्वामी/ टैक्सी ऑपरेटर अपने प्रस्ताव/निविदा two bid (Technical & Price) system के अंतर्गत प्रत्येक टैक्सी परमिट गाड़ी हेतु प्रथक- प्रथक (दोनों टैक्सीयों/गाड़ियों के लिए अलग-2), तकनीकी एवं मूल्य बोली (Technical & Price Bid), इस कार्यालय में दिनांक 20.01.2024 तक दोपहर 05:00 pm तक तकनीकी एवं मूल्य बोली (Technical & Price Bid), हेतु अलग-अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें| यह व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय-2 जैसलमेर, प्रथम मंज़िल, प्रशासनिक कार्यालय, A-23, शास्त्री नगर, जोधपुर एवं भावी टैक्सी संचालक / टैक्सी कार स्वामी के मध्य लिखित समझौते के अनुरूप लागू होगी। सेवा प्रदाता चयन संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। कोटेशन हमारे द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा। निविदा में मांगी गई सूचना, के अलावा किसी भी तरह की अन्य दरों का उल्लेख ना करें। निविदा सूचना के अलावा किसी भी तरह की शर्ते स्वीकार नहीं की जायेगी। ड्राईवर की व्यवस्था इच्छुक वाहन स्वामी/ टैक्सी ऑपरेटर को स्वयं करनी होगी। बैंक के पास निविदा निरस्त करने के सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे| तकनीकी निविदा में गाड़ी की RC/Invoice Bill, बीमा, RTO टैक्सी परमिट की प्रतिलिपि अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। मूल्य निविदा अलग सील बंद लिफाफे में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में प्राप्त निविदा दिनांक 20.01.2024, **दोपहर 5:15 pm अथवा अन्य किसी उपयुक्त दिनांक एवं समय पर,** क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय-2 जैसलमेर, प्रथम मंजिल, प्रशासनिक कार्यालय, A-23, शास्त्री नगर, जोधपुर में खोले जाएंगे -

आवश्यक शर्तें :-

1. चयनित टैक्सी संचालक / ड्राईवर को दिनांक **एक फ़रवरी 2024** (01.02.2024), से टैक्सी प्रयोग हेतु उपलब्ध करवानी होगी ।
2. टैक्सी किराये का भुगतान, मासिक आधार पर किया जाएगा। किसी भी अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा । वाहन मालिक द्वारा मासिक बिल अगले माह के पहले दिन बैंक में जमा किया जाएगा, जिसका भुगतान बैंक द्वारा प्रत्येक माह की अधिकतम 10 तारीख तक किया जाएगा।
3. कार का पंजीयन 2023 से पूर्व का नहीं होना चाहिए ।
4. गाड़ी वातानुकूलित पेट्रोल/डीज़ल (Non CNG), सफ़ेद रंग की, टैक्सी परमिट गाड़ी, यथा- HYUNDAI VERNA/ /TOYOTA ETIOS/ Maruti Suzuki Ciaz (इनमें से कोई भी) होनी चाहिए ।
5. गाड़ी का पंजीयन टैक्सी नंबर से होना अनिवार्य है । निविदा के साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन(RC)/ Invoice Bill की प्रति, जिससे गाडी के मालिकाना हक़ का पता चलता हो, संलग्न करना अनिवार्य है । अगर किसी निविदा के

साथ गाड़ी की RC/Invoice Bill, बीमा, RTO टैक्सी परमिट की प्रतिलिपि संलग्न नहीं पाई गयी अथवा निविदा जमाकर्ता का मालिकाना हक़ स्थापित होना नहीं पाया गया तो उस निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगी (प्रारूप, इस सूचना के साथ ही संलग्न है)

6. टैक्सी संचालक का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
7. वातानुकूलित गाड़ी का मासिक किराया 2500 कि॰ मी॰ तक चलने का किराया कोट (लिखें) करे जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। निर्धारित सीमा से अधिक चलने पर रूपये 10.00/- प्रति कि॰ मी॰ की दर से किराया देय होगा.
8. गाड़ी 24x7 आधार पर पूर्ण माह (30 दिन/31 दिन) किराए पर ली जावेगी। अर्थात गाड़ी व ड्राइवर प्रतिदिन 24 घंटे की सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंधित होंगे। Logbook रीडिंग हेतु दूरी की गणना अधिकारी के pick up स्थल व Drop स्थल के बीच की दूरी के आधार पर तय होगी।
9. बैंक आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार के दिन भी गाड़ी बुला सकते हैं। बैंक में अवकाश/रविवार होने पर गाड़ी बुलाने की स्थिति में देय अतिरिक्त राशि रु 500/- प्रति दिवस के आधार पर होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/ओवरटाइम देय नहीं होगा।

10. बैंक देश में कहीं भी किराये के वाहन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। जोधपुर से बाहर जाने पर रात्रि ठहराव हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता (बिन्दु 11 में वर्णित व्ययों/ अतिरिक्त राशि के अलावा) देय नहीं होगा ।
11. एक दिन में 12 घंटे (9 am से 9 pm) से अधिक गाड़ी चलने पर (चाहे स्थानीय जोधपुर अथवा जोधपुर से बाहर) देय अतिरिक्त राशि रु 50/- प्रति घंटा होगी। अतिरिक्त राशि की गणना प्रति कलेंडर दिवस/दिनांक में 12 घंटे से अधिक गाड़ी चलने की दशा में ही होगी ।
12. टैक्सी बैंक को रिटेनशिप आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि गाड़ी का कानूनी मालिकाना अधिकार गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी का होगा। गाड़ी को अनवरत प्रयोग के लिए तैयार रखना होगा। ब्रेक डाउन / फैलियर के मामले में गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को वैकल्पिक गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी तथा इसकी पूर्व सूचना बैंक को उपलब्ध करानी होगी तथा ऐसी स्थिति आने पर यदि बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़े तो उस पर होने वाले खर्च की वसूली भी गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी से वसूलने का अधिकार बैंक को होगा ।
13. गाड़ी का रख – रखाव, अनुरक्षण पूर्णत: गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा । टैक्सी के उचित संचालन हेतु लुब्रिकेंट्स, फ्युल ऑइल, कूलेंट, बैटरी, टायर, ट्यूब आदि तथा दैनिक प्रयोग के लिए आवश्यक कलपुर्ज़ों की व्यवस्था गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को अपने खर्चे पर करनी होगी ।
14. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को एक लोगबुक रखनी होगी ताकि टैक्सी के चलने का हिसाब रखा जा सके । लोगबुक में जो भी प्रविष्ठी की जाए इसका प्रमाणीकरण टैक्सी प्रयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन करवाना होगा और माह की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि करने पर इसी आधार पर भुगतान किया जाएगा ।
15. टैक्सी के किराये का भुगतान केवल मासिक आधार पर ही किया जाएगा और आयकर की कटौती नियमानुसार स्त्रोत पर की जाएगी टैक्सी के किराए का भुगतान स्टेट बैंक में गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी के नाम के खाते में किया जाएगा। वाहन मालिक ड्राइवर/स्टैंडबाय ड्राइवर को बैंक की ड्यूटी पर तैनात करने से पहले पुलिस अधिकारियों से उनका पुलिस सत्यापन करवाएगा और हमें उसकी विधिवत सत्यापित प्रतियां, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियां प्रदान करेगा।
16. टैक्सी चालक को उचित वर्दी पहननी होगी तथा वह व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसके पास अपेक्षित ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी में प्राथमिक उपचार पेटी (फ़र्स्ट एड बॉक्स) उपलब्ध करना होगा ।
17. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को निम्न लिखित सभी व्ययों का भुगतान स्वयं करना होगा और अनिवार्य रूप से स्वयं मालिक को ही करना होगा ।

    क : व्यापक बीमा प्रीमियम

ख : सड़क कर

ग : प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र

घ : बिन्दु 11 में वर्णित व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यय यदि हों तो

18. यदि यातायात अधिकारी / अन्य किसी एजेंसी द्वारा कोई चालान / जुर्माना लगाया जाता है तो उसका भुगतान गाड़ी स्वामी /ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
19. प्रारंभ में यह समझौता 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत होने पर समान नियमों और शर्तों पर, अगले 02 (दो) वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, बैंक के पास एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प है लेकिन वाहन मालिक/ ट्रैवल एजेंसी के पास अनुबंध समाप्त होने तक अनुबंध को अस्वीकार/समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
20. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी व बैंक के बीच कर्मचारी / मालिक के प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा। चालक पूर्णतया गाड़ी स्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसका वेतन / मजदूरी व अन्य खर्च आदि का भुगतान गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी स्वयं करेगा।
21. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी द्वारा श्रम कानून से संबन्धित सभी प्रावधानों का अनुपालन अपने स्तर पर किया जाएगा। इस विषय मे बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
22. एग्रीमेंट में सभी खर्चे गाड़ी स्वामी / ट्रेवल एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे ।
23. यदि डीजल/पेट्रोल की दरों में आज दिनांक 02.01.2024 की बेस रेट यथा पेट्रोल - रुपये 108.58 एवं डीजल – रुपए 93.82 से रुपए 10.00 प्रति लीटर बढ़ोतरी है या कमी होती है तो किराए में रुपये 1200/- मासिक अतिरिक्त बढ़ाया अथवा कम किया जाएगा ।
24. किसी भी वाद के लिए जोधपुर न्यायपालिका क्षेत्र होगा ।
25. बैंक को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा ।

आज्ञा से :-

क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय -2
जैसलमेर

दिनांक- 02.01.2024

<u>निविदा</u>

दिनांक ....

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय -2
जैसलमेर.

महोदय,

<u>टैक्सी निविदा के संबंध में</u>

आपकी साधारण सूचना दिनांक ___________________के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा निम्न दर पर किराए की टैक्सी देने की सहमति प्रदान की जाती है :-

गाड़ी का नाम (ब्रांड एवं मॉडल)	गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक	मासिक किराया रुपये

उपर्युक्त मासिक किराए पर बैंक द्वारा साधारण सूचना में बताई गई शर्तों के अनुसार गाड़ी किराए पर देने हेतु मैं/हम सहमत है।

भवदीय,

(   )

संलग्न: